

1-11-17
1-11-17
07-05-17

XIII

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013-

160(311) /पटना, दिनांक 8-3-2017

प्रेषक

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य

एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग,
चण्डी

विशेष कार्य पदाधिकारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना (योजना) बजट के "मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या- 43, उपशीर्ष-0102- पोलिटेकनिक/ इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" विपत्र कोड -पी 4202021050102 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय व्यायादेश संख्या-516, दिनांक 28.02.2017 के द्वारा विभागान्तर्गत 4 (चार) संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा तथा नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी में प्रति संस्थान रू. 3,25,000=00 (तीन लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र की लागत से Language Lab. सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु स्वीकृत राशि कुल रू. 13,00,000=00 (तेरह लाख रुपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2016-17 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से कुल रू. 13,00,000=00 (तेरह लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

विषय शीर्ष	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया	दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा	नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चण्डी	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
5201 मशीनें एवं उपस्कर	325000	325000	325000	325000	1300000

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

(क) तीन लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र।

(ख) तीन लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र।

(ग) तीन लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र।

(घ) तीन लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र।

(ङ) तेरह लाख रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561/वि.(2), दिनांक 17.04.1998 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना (योजना), शीर्षादि, कोड संख्या, मांग संख्या, विपत्र कोड एवं प्राथमिक इकाई (कूट संख्या सहित) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।
6. टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।
7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



06.03.17
(अतुल सिन्हा)

निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013-

160(311)/पटना, दिनांक

8-3-2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



06.03.17
निदेशक

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013-

160(311)/पटना, दिनांक

8-3-2017

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, मुजफ्फरपुर/गया/दरभंगा/ हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



06.03.17
निदेशक

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब-8/2013-

160(311)/पटना, दिनांक

8-3-2017

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



06.03.17
निदेशक